

**भारतीय रेल**  
**बनारस रेल इंजन कारखाना**  
**वाराणसी**

कार्यालय : महाप्रबंधक (का.)

पत्र सं.: -म.प्र.(का.)/आ.आ./अक्टूबर/22

दिनांक : 20.10.2022

**सर्व सम्बंधित,**

ब.रे.का., वाराणसी तथा कोलकाता एवं सियालदह डिपो तथा कैम्प आफिस दिल्ली,  
संयुक्त सचिव एवं समस्त कर्मचारी परिषद सदस्य,  
जो. अध्यक्ष-एस. सी. / एस. टी. एवं अध्यक्ष- ओ.बी.सी. एसोसिएशन,  
**वरि. आकड़ा प्रबंधक:-** कृपया निम्नलिखित रिक्त आवासों की सूची को ब.रे.का. की  
वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करवायें ।

निम्नलिखित रिक्त आवासों का आवंटन नयी नियमावली-2018 के अन्तर्गत विकल्प के आधार पर  
नये कोड के अनुसार पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं । विकल्प और नये कोड (18 कोड) के वरीयता के  
आधार पर ही कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जायेगा ।

**टाइप-IV**

क्र. सं.	कोड	आवास का प्रकार	पात्रता तिथि	रिक्त आवास	कुल
1.	44	सिंगल स्टोरी पुराना	31.12.16	307/B, 321/B, 338/B, 339/B, 344/A	05
2.	43	सिंगल स्टोरी नया	31.12.16	172/B	01
3.	41	प्रथमतः दो मंजिल	31.12.18	246/A	01

**टाइप-III**

3.	34	सिंगल स्टोरी पुराना	31.12.17	340/B, 450/B, 482/B	03
4.	33	सिंगल स्टोरी नया	31.12.18	390/A, 399/B	02
5.	32	भूमि तल दो मंजिला	31.12.20	514/H, 153/G	02
6.	31	प्रथमतः तीन कमरा	30.04.21	125/D, 155/D, 515/D, 527/B, 811/A, 813/A, 928/A, 931/B	08



**टाइप-II**

7.	25	सिंगल स्टोरी	31.12.12	201/B, 202/F, 209/D, 211/A, 214/A, 217/B	06
8.	24	भूमि तल दो मंजिला स्टोर युक्त	30.06.22	131/J, 568/E, 575/G, 583/F, 615/E, 615/F, 619/E, 621/F, 631/G, 635/E, 637/G, 638/F, 683/G, 688/H, 689/G, 694/H, 708/E, 715/H, 725/G, 729/G	20
9	23	प्रथमतल दो मंजिला स्टोर युक्त	30.07.22	546/B, 551/C, 563/D, 568/B, 587/C, 608/C, 609/A, 617/D, 621/D, 627/C, 642/C, 689/B, 695/C, 696/C, 696/D, 700/A, 701/B, 705/B, 719/C, 719/D, 724/A, 728/C, 734/A	23
10	22	भूमितल बिना स्टोर युक्त	30.09.22	182F, 624/E, 651/E, 652/F, 653/H, 670/G, 901/H, 903/I	08
11	21	प्रथमतल बिना स्टोर युक्त	30.09.22	564/C, 624/D, 625/D, 643/C, 650/B, 651/C, 652/B, 656/C, 670/C, 673/B, 674/D, 675/A, 736/A, 902/F, 903/C, 903/E	16

**टाइप-I**

12	14	भूमि तल दो कमरा	31.10.22	648/I, 737/F, 747/E, 748/G, 752/H, 755/G, 938/B, 938/C, 939/B, 940/F, 943/A, 943/D, 944/C, 944/D, 958/F, 959/E, 959/F,	17
13	13	प्रथमतल दो कमरा	31.10.22	648/I, 649/C, 735/A, 741/A, 741/E, 743/E, 747/B, 748/A, 751/C, 751/A, 752/D, 761/D, 762/B, 762/C, 940/B, 940/C, 941/A, 958/A, 959/D	19
14	12	भूमि तल एक कमरा	31.10.22	150/I, 645/K, 646/I, 646/K, 646/L, 659/H, 660/B, 660/K, 662/K, 665/J, 666/G, 667/G, 667/H, 680/J, 680/K, 680/L, 681/H, 681/K	18
15	11	प्रथमतल एक कमरा	31.10.22	138/B, 143/D, 146/C, 146/F, 149/C, 149/D, 146/B, 142/D, 151/D, 150/C, 142/C, 148/D, 645/A, 645/C, 645/E, 646/B, 646/C, 646/D, 646/E, 647/D, 647/E, 659/A, 659/B, 659/E, 660/C, 661/B, 661/C, 661/F, 662/A, 662/B, 662/C, 662/D, 662/E, 664/B, 664/D, 664/E,	112

21/10/22  
20/10/22

				664/F, 664/H, 665/C, 665/D, 665/F, 666/C, 666/E, 667/B, 667/C, 667/D, 667/E, 668/A, 668/B, 668/C, 668/D, 668/F, 677/A, 677/F, 678/A, 678/B, 678/C, 678/E, 679/A, 679/C, 679/D, 680/C, 680/E, 680/F, 681/D, 681/E, 681/F	
--	--	--	--	--	--

कुल योग - 261

  
(आर. के. चौधरी)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी /कर्म.


दिनांक : 20.10.2022

- कोई भी कर्मचारी चाहे वो सीधी भर्ती या पदोन्नति कोटे का हो वह अपनी पात्रता से निचले स्तर के आवास के लिए भी आवेदन कर सकता है बशर्ते उसके पास कोई आवास नहीं हो। उदाहरण के लिए सीधी भर्ती कोटे का कोई कर्मचारी जो टाइप-IV के आवास के लिए पात्र है, वह टाइप-III, II या टाइप-I के लिए भी आवेदन कर सकता है तथा इसके लिए यदि वे आवास कोड में परिवर्तन करना चाहे तो, आवास आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म के साथ कोड परिवर्तन हेतु फॉर्म एक साथ जमा कर सकता है।
- इसी प्रकार उच्च टाइप के पात्रता वाले कर्मचारी यदि निम्न पात्रता (टाइप-I, II व III) के लिए आप्शन भरता है। ऐसी दशा में सिर्फ 02 कोड के आवास हेतु आप्शन भर सकता है। आवास आवंटन के लिए कर्मचारी अपना विकल्प जितना भी चाहे उतने आवासों के लिए आवेदन कर सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। फॉर्म के पीछे आवासों की वरीयता के आधार पर, आवेदन पर PTO करके भर सकते हैं एवं किसी भी प्रकार के आवास में 02 (दो) ही कोड के आवास भरें।
- जो कर्मचारी अपना आवास कोड फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपनी पात्रता के अनुसार जिस टाइप के आवास (टाइप- I, II, III एवं IV ) भरना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म के साथ अपना कोड फॉर्म आवश्य भर कर आवास आवेदन के साथ संलग्न करे।
- ग्रुप 'डी' के कर्मचारी जो MACP के तहत रु. 1900/- ग्रेड पे पा रहे हैं, वे टाइप-II आवास के पात्र हैं। इसी प्रकार अन्य टाइप में भी MACP के तहत पात्रता का लाभ दिया जाएगा।
- उसी टाइप के अन्य कोड का आवास सम्बन्धी आवेदन पत्र वर्तमान कोड के आवास में 02 वर्ष रहने के पश्चात ही स्वीकार होगा।
- पात्रता टाइप में किन्हीं दो सब कोड के लिए विकल्प स्वीकार्य होंगे।
- सभी कर्मचारी अपना विकल्प फॉर्म में पात्रता तिथि सही-2 भरें।
- सभी कर्मचारी जिस टाइप / कोड में रहते हैं उसके उच्च टाइप / कोड में ही आवास भर सकेंगे।

9. कर्मचारी सोच समझकर ही फार्म भरें । फार्म भरने के पश्चात अथवा आवास आवंटित होने पर अगर कर्मचारी आवास अवधारण नहीं करते हैं तो उन्हें 01 वर्ष के लिए उस टाइप के सभी कोडों के लिए डिबार कर दिया जाएगा ।
10. सभी कर्मचारी अपना फार्म भर कर अपने कार्यस्थल पर दिनांक 10.11.22 तक अवश्य जमा करा कर उसकी रसीद (अधकटी) प्राप्त कर लें । उसके पश्चात संबंधित अनुभाग इन आवेदनों को टाइप-I, II, III एवं IV की अलग - अलग सूची बनाकर (दो प्रति पावती के साथ) प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, म.प्र.(का.) कार्यालय को दिनांक 12.11.22 को 12.00 बजे तक सभी आवेदन पत्रों को भेज दें । इसके पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
11. रेल सेवा आचरण नियम-1966 की धारा-15 'क' के अंतर्गत उपकिरायेदारी एवं व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाना गंभीर अपराध माना जाएगा एवं आकस्मिक जाँच के दौरान उप किरायेदारी पर पाये जाने के फलस्वरूप आवास निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

**नोट:-**

- (क) सी.से.ई. /कार्य- पूर्वी, पश्चिम एवं केंद्रीय को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवासों की सूची जाँच लें । अगर इनमें से कोई आवास आवंटित है तथा रिक्त नहीं है तो इसकी सूचना आवास आवंटन अनुभाग को दिनांक 28.10.22 तक लिखित रूप में दे दें ताकि उन्हें आवंटित नहीं किया जाय । अगर दिनांक 28.10.22 तक इस संबंध में लिखित सूचना नहीं प्राप्त होगा तो माना जाएगा कि सभी आवास रिक्त हैं तथा उनका आवंटन किया जा सकता है ।
- (ख) सी.से.ई./कार्य- पूर्वी, पश्चिम एवं केंद्रीय और सी.से.ई./विद्युत यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त सभी आवासों में अगर कोई मरम्मत अथवा सुधार आवश्यक है तो उसे शीघ्र पूर्ण करा लें ताकि आवंटित आदेश जारी होने के पश्चात कर्मचारियों को आवास अवधारण (रहने में) लेने में समय बर्बाद न हो ।
- (ग) नियमानुसार आवास आवंटन हेतु नियुक्ति पूर्व पूरी प्रशिक्षण अवधि को लेखे में नहीं लिया जाता है । अतः फार्म भरते समय पूरी प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त नियुक्ति तिथि अंकित करें ।
- (घ) रिक्त आवासों का आवंटन नयी नियमावली-2021 दिनांक 29.06.2021 के कोडों के अनुसार किया जायेगा ।

  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)  
20/10/22